AGREEMENT BETWEEN

THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY OF THE REPUBLIC OF INDIA AND

THE MINISTRY OF ENERGY AND MINING OF THE REPUBLIC OF PERU

ON COOPERATION

IN NEW AND RENEWABLE ENERGY

The Ministry of New and Renewable Energy of the Republic of India and the Ministry of Energy and Mining of the Republic of Peru (hereinafter referred to as "the Parties"),

Pursuant to the provisions of the Basic Agreement on Scientific and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Peru and the Government of the Republic of India, signed on August 26, 1975 and the Technical Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Peru and the Government of the Republic of India, signed on May 26, 1997.

Having identified New and Renewable Energy as a common area of interest; and

Desiring to identify and establish cooperation activities between the Ministry of Energy and Mining of the Republic of Peru and the Ministry of New and Renewable Energy of the Republic of India;

Have agreed as follows

Article I Objective

The objective of this Agreement is to establish the basis for a cooperative institutional relationship to encourage and promote bilateral technical

cooperation in new and renewable energy on the basis of mutual benefit, equality and reciprocity between the Parties.

Article II Scope

Cooperation activities under this Agreement shall be in full compliance with the applicable laws and regulations of the Parties. In addition, this Agreement is developed in strict accordance with the rules and regulations of each party. Given the nature of this Agreement, this will not generate legally binding international obligations or liability for the States belonging to the Parties.

Article III Forms of Cooperation

Cooperation under this Agreement may take the following forms:

- a. exchange and training of scientific and technical personnel;
- b. exchange of available scientific and technical information and data;
- c. organization of workshops, seminars and working groups;
- d. know-how and technology transfer in non-commercial terms;
- e. exchange of information on regulatory aspects of Renewable Energy; and
- f. other forms of cooperation as mutually agreed by the Parties.

Article IV Coordination and Follow-Up

In order to coordinate the above-mentioned activities and decide upon project proposals related to design and development of various new and renewable energy technologies such as, among others, solar energy, wind energy, bio energy and small hydroelectric plants, the Parties shall establish a 'Joint Committee' with objectives of:

- identifying areas of mutual interest and cooperation for development of technologies, systems, sub-systems, devices, components, among others.
- b. monitoring and evaluating cooperation activities; and
- c. any other activity as may be agreed upon by the Parties in writing.

The Parties shall designate one representative each to the 'Joint Committee' in each country with their headquarters as follows.

- In the States of the Parties, the seat of the Committee shall be located at the Ministry of Energy and Mining of Peru and the Embassy of India in Peru
- In the States of the Parties, the seat of the Committee shall be located at the Ministry of New and Renewable Energy of India and the Embassy of Peru in India.

For the aforesaid activities, the Joint committee shall, to the extent possible, conduct its work through electronic communication and teleconferences, but meet alternately in Peru and in India, when this is deemed necessary.

The Joint Committee may invite other members of scientific institutions, research centers, universities or other entities to join the Committee when they consider relevant.

The Joint committee may develop Work Plans in order to implement this Agreement and shall within a period of six (6) months from signing of this Agreement submit the first Work Plan setting out the cooperation activities to be carried out, which should include information related to the project, such as purpose, scope, expected results, resources required, intellectual properties and other aspects. The acceptance of the Work Plans shall be appended to this Agreement in writing and shall be signed by the representatives of the Joint Committee.

Article V Confidentiality of Information

The Parties undertake to protect the information exchanged under this Agreement, in accordance with their national legislation, and at a similar level to that provided by the other Party.

The Parties shall not use the information exchanged for purposes other than those authorized by the party that provided it. In case of jointly produced information, it will not be used for purposes other than those agreed.

The transmission to third parties of information provided by either Party shall require the prior written consent of the Party that provided it. In the case of jointly produced information, transmission to third parties require the approval of both Parties.

Article VI Protection of Intellectual Property Rights

The Parties shall take all the appropriate measures in accordance with their legal systems and with the international agreements which their States are parties, to respect the restrictions and reservations and to protect intellectual property rights, including commercial and industrial secrets transferred between authorized persons within the jurisdiction of the State of the Party.

Article VII Financing

The Parties agree that all costs rising out of cooperation activities under this Agreement shall be borne by the Party who incurs them, in accordance with what their respective budgets permit, unless otherwise stipulated in writing.

The Parties undertake to carry out their efforts before the various sources of international cooperation for the provision of financial resources, technical assistances or other types of donations, which can contribute to the development of the activities and implementation of this Agreement.

Each Party shall conduct the activities provided for in this Agreement, subject to its applicable laws and regulations. Likewise, the Parties shall submit a detailed written listing of the financial requirements of each activity before commencing such activity.

Article VIII Specific Agreements

Cooperative activities under this Agreement shall be established in Specific Agreements in writing by mutual consent of the Parties and shall be implemented in accordance with the laws of the States of the Parties.

Article IX Delegation

The Parties will be in charge of the formulation and implementation of the Specific Agreements.

Article X Exchange of Personnel

Pursuant to Articles VI and VII of the Basic Agreement and Article V of the Technical Cooperation Agreements, each Party shall make the necessary agreements with competent authorities for entry, stay and departure permits that may be required for personnel officially involved in the cooperation activities pursuant to this Agreement. Furthermore, participants shall be subject to the migratory, tax, customs, sanitary and safety regulations in force in the receiving country and shall not participate in any activity other than its functions. Participants shall leave the receiving State in accordance with its laws and regulations.

Article XI Other Agreements

Cooperation under this Agreement shall carry out without prejudice of the rights and obligations of the Parties as defined in others international agreements to which their States are parties. All documents arising from this Agreement shall be drafted in English. Each Party shall provide official translation of the documents to its language of origin for its execution.

Article XII Settlement of Differences

Any difference out of the interpretation and implementation or application of any of the provisions of this Agreement shall be settled amicably, through negotiations or consultation between the Parties.

Article XIII

Entry into force, Modifications and Termination

This Agreement shall come into effect from the date of its signing and shall remain in force unless either of the Parties terminates this Agreement by giving the other Party a written notice of ninety (90) days in advance of its intention to terminate this Agreement.

Termination of the present Agreement will not affect the implementation of the projects, which are already in progress under the present Agreement and will be continued in accordance with the terms and conditions of the present Agreement.

This Agreement may be modified by mutual written agreement of the Parties, specifying the date on which such modifications will take effect.

Signed at Lima, Peru on the 11th day, of May, 2018, in two originals each in the Hindi, Spanish and English languages, all texts being equally valid. In case of divergence in the interpretation the English text shall prevail.

For and on behalf of Ministry of New and Renewable Energy of the Republic of India

For and on behalf of Ministry of Energy and Mining of the Republic of Peru

भारत गणराज्य के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा पेरू गणराज्य के ऊर्जा और खनन मंत्रालय के बीच नवीन और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता

भारत गणराज्य का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा पेरू गणराज्य का ऊर्जा और खनन मंत्रालय (जिन्हें इसके पश्चात् इस प्रलेख में "पक्षों" कहा गया है),

26 अगस्त, 1975 को पेरू गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर हस्ताक्षरित बुनियादी समझौते और पेरू गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच 26 मई, 1997 को हस्ताक्षरित तकनीकी सहयोग संबंधी समझौते के प्रावधानों के अनुसरण में।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा को समान हित के क्षेत्र के रूप में पहचान करते हुए; और पेरू गणराज्य के ऊर्जा और खान मंत्रालय तथा भारत गणराज्य के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच सहयोग संबंधी कार्यकलापों की पहचान और स्थापना करने की इच्छा व्यक्त करते हुए;

निम्नानुसार सहमत हुए हैं

अनुच्छेद-1 उद्देश्य

इस समझौते का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच परस्पर हित, समानता और पारस्परिकता के आधार पर नवीन और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने हेतु एक सहयोगात्मक संस्थागत संबंध के लिए आधार तैयार करना है।

अनुच्छेद-2 दायरा

इस समझौते के अन्तर्गत सहयोगात्मक कार्यकलाप पक्षों के लागू कानूनों और विनियमों के पूर्ण अनुपालन में होंगे। इसके अतिरिक्त इस समझौते को प्रत्येक पक्ष को नियमों और विनियमों के अनुसार कड़ाई से विकसित किया गया है। इस समझौते की प्रकृति को देखते हुए इससे पक्षों से संबंधित राज्यों के लिए कानूनी रूप से बाध्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यता अथवा देयता का मृजन नहीं होगा।

अनुच्छेद-3 सहयोग के तरीके

इस समझौते के अन्तर्गत सहयोग के निम्नलिखित तरीके हो सकते हैं-

- क. वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों का आदान-प्रदान और प्रशिक्षण;
- ख. उपलब्ध वैज्ञानिक एवं तकनीकी जानकारी और ब्यौरों का आदान-प्रदान;
- ग. कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और कार्य दलों का आयोजन;
- घ. गैर वाणिज्यिक आधार पर जानकारी और प्रद्योगिकी का स्थानांतरण;
- ङ. अक्षय ऊर्जा के विनियामक पहलुओं पर जानकारी का आदान-प्रदान; और
- च. पक्षों के बीच परस्पर सहमित के अनुसार सहयोग के अन्य तरीके।

अनुच्छेद-4 समन्वय और अनुसरण

ऊपर उल्लिखित कार्यकलापों का समन्वय करने तथा विभिन्न अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों जैसे- अन्य के अलावा सौर ऊर्जा, एओलियन ऊर्जा, बायो ऊर्जा और लघु पन बिजली संयंत्रों के अभिकल्पन और विकास से संबंधित परियोजना प्रस्तावों पर विचार करने के उद्देश्य से पक्षों द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ एक 'संयुक्त समिति' का गठन किया जाएगा:-

- अन्य के साथ-साथ प्रौद्योगिकियों, प्रणालियों, उप प्रणालियों, उपकरणों कल पुर्जों
 के विकास हेतु परस्पर हित और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करना।
- ख. सहयोत्माक कार्यकलापों का अनुश्रवण और मूल्यांनक; और
- ग. पक्षों द्वारा लिखित में हुई सहमति के अनुसार कोई अन्य कार्यकलाप।

पक्षों द्वारा प्रत्येक देश में 'संयुक्त समिति' में एक-एक प्रतिनिधि को नामित किया जाएगा जिसके मुख्यालय निम्नलिखित होंगे:-

- पक्षों के राज्यों में समिति की सीट ऊर्जा मंत्रालय और खनन मंत्रालय तथा भारत
 के राजनियक प्रतिनिधित्व तथा पेरू में भारत के दूतावास में स्थित होंगी।
- पक्षों के राज्यों में समिति की सीट भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारत में पेरू के दूतावास में होगी।

उपरोक्त कार्यकलापों के लिए संयुक्त समिति जहां तक संभव हो अपने कार्यकलापों का संचालन इलेक्ट्रॉनिक संचार और टेलीकॉन्फ्रेंसों के माध्यम से करेगी लेकिन इसकी बैठक जब कभी आवश्यक हो पेरू और भारत में बारी-बारी से आयोजित की जाएगी।

संयुक्त समिति द्वारा वैज्ञानिक संस्थानों, अनुसंधान केन्द्रों, विश्वविद्यालयों अथवा अन्य कंपनियों के अन्य सदस्यों को, जब वे ऐसा आवश्यक समझते हों, समिति में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

संयुक्त सिमिति द्वारा इस समझौते को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से कार्य योजनाएं विकसित की जा सकती हैं और इसके द्वारा संचालित किए जाने वाले कार्यकलापों को निर्धारित करते हुए 6 माह की अविध के भीतर एक विशिष्ट समझौता प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें परियोजना से संबंधी जानकारी जैसे- उद्देश्य, गणना, संभावित परिणाम, आवश्यक संसाधन, बौद्धिक संपदा और अन्य पहलू शामिल होंगे। वार्षिक कार्य योजना

की स्वीकार्यता इस समझौते में लिखित में जोड़ी जाएगी और संयुक्त समिति के प्रतिनिधियों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

अनुच्छेद-5 जानकारी की गोपनीयता

दोनों पक्ष इस समझौते के अन्तर्गत आदान प्रदान की गई जानकारी को अपने राष्ट्रीय विधान के अनुसार प्रदर्शित करने और उसी स्तर पर अन्य पक्ष को उपलब्ध कराए जाने के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

पक्षों द्वारा आदान-प्रदान की गई जानकारी को उपलब्ध कराने वाले पक्ष द्वारा प्राधिकृत किए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा। संयुक्त रूप से निर्मित जानकारी का उपयोग सहमत उद्देश्यों को छोड़कर अन्य के लिए नहीं किया जाएगा।

किसी अन्य जानकारी प्रदान करने के लिए दूसरे पक्ष को इसे उपलब्ध कराने वाले पक्ष को पूर्व में लिखित सहमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। संयुक्त रूप से निर्मित जानकारी के मामले में अन्य पक्षों को जानकारी प्रदान करने के लिए दोनों पक्षों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

अनुच्छेद-6 बौद्धिक संपदा अधिकार का संरक्षण

पक्षों द्वारा अपनी कानूनी प्रणालियों और अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों, उनके राज्य जिनके पक्ष हैं, के अनुसार प्रतिबंधों और गोपनीयता का सम्मान करने और बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण करने जिसमें उनके पक्ष के राज्यों के क्षेत्राधिकार के भीतर प्राधिकृत व्यक्तियों के बीच हस्तांतरित, वाणिज्यिक और औद्योगिक गोपनीयता शामिल है, का सम्मान करने के लिए समुचित कदम उठाए जाएंगे।

अनुच्छेद-7 वित्तपोषण

पक्षों द्वारा यह सहमित व्यक्त की जाती है कि इस समझौते के अंतर्गत सहयोगत्माक कार्यकलापों पर होने वाले सभी व्ययों का वहन उस पक्ष द्वारा, उसके संबंधित बजट की अनुमित के अनुसार, किया जाएगा जो इसका व्यय करता है बशर्ते लिखित में अन्य किसी रूप में निर्धारित न किया गया हो।

पक्षों द्वारा इस करार के कार्यकलापों और कार्यान्वयन के विकास में योगदान देने वाले वितीय संसाधनों, तकनकी सहायताओं अथवा अन्य प्रकार के अनुदानों के प्रावधान हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के विभिन्न स्रोतों के समक्ष प्रयास किया जायेगा।

प्रत्येक पक्ष इस समझौते में उपलब्ध कराए गए कार्यकलापों का संचालन करेगा जो इसके लागू नियमों और विनियमों के अध्यधीन होगा। इसी प्रकार पक्षों द्वारा इस प्रकार का कार्यकलाप आरंभ करने से पहले प्रत्येक कार्यकलाप की एक विस्तृत लिखित सूची प्रस्तुत की जाएगी।

अनुच्छेद-8 विशिष्ट समझौते

इस समझौते के अंतर्गत सहयोगात्मक कार्यकलापों की स्थापना पक्षों की परस्पर सहमित द्वारा लिखित में विशिष्ट समझौतों के साथ की जाएगी और इसका कार्यान्वयन पक्षों के कानूनों के अनुसार होगा।

अनुच्छेद-9 प्रत्यायोजन

दोनों पक्ष विशिष्ट समझौतों के निरूपण और कार्यान्वयन के प्रभारी होंगे।

अनुच्छेद-10 कार्मिकों का आदान-प्रदान

बुनियादी समझौते के अनुच्छेद-VI और VII और तकनीकी सहयोग समझौतों के अनुच्छेद-V के अनुसरण में प्रत्येक दल प्रवेश, ठहरने और प्रस्थान, जो इस समझौते के अनुसरण में सहयोग गतिविधियों में शामिल कार्मिकों के लिए आवश्यक है, के लिए सक्षम प्राधिकारों के साथ आवश्यक प्रबन्ध करेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिभागी मेजबान देश में लागू होने वाले प्रवासी, कर सीमा शुल्क, सैनिटरी और सुरक्षा नियमों के अध्यधीन होंगे और अपने कार्यों के किसी अन्य गतिविधि में शामिल नहीं होगें। प्रतिभागियों को उस देश में लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार मेजबान देश को छोड़ना होगा।

अनुच्छेद-11 दूसरे समझौते

इस समझौते के अन्तर्गत दोनों पक्षों के अधिकारों और दायित्वों का निर्वहन बिना किसी पूर्वाग्रह के, जैसा कि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों, जिसके पक्ष उनके राज्य हैं, में पिरभाषित किए अनुसार सहयोग किया जाएगा। इस समझौते से सृजित होने वाले सभी प्रलेख अंग्रेजी में लिखे जाएंगे। प्रत्येक पक्ष अपने कार्यान्वयन हेतु अपनी मूल भाषा में आधिकारिक रूप से अनूदित पाठ उपलब्ध कराएगा।

अनुच्छेद-12 विवादों का निपटान

इस समझौते के किसी भी प्रावधानों की व्याख्या और कार्यान्वयन अथवा प्रवर्तन में होने वाले किसी प्रकार के विवाद का निपटान दोनों पक्षों के बीच विचार-विमर्श अथवा बातचीत के माध्यम से सौहार्द्रपूर्वक किया जाएगा।

अनुच्छेद-13 लागू होना, संशोधन और समापन

यह समझौता इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से लागू हो जाएगा और दोनों में से किसी भी एक पक्ष द्वारा इस समझौतें को समाप्त करने के संबंध में दूसरे पक्ष को अपनी इच्छा अर्थात् इस समझौते को समाप्त करने की लिखित सूचना नब्बे (90) दिन पहले न दिए जाने तक लागू रहेगा।

वर्तमान समझौते के समाप्त होने से वैसी परियोजनाओं, जो वर्तमान समझौते के अंतर्गत पहले से ही प्रगति पर हैं, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इन्हें वर्तमान समझौते की निबन्धन और शर्तों पर जारी रखा जाएगा।

इस समझौते को दोनों पक्षों की पारस्परिक लिखित सहमित से संशोधित किया जा सकता है जिसमें उस तारीख का उल्लेख किया जाना चाहिए जिस तारीख से यह संशोधन लागू हो।

वर्ष 2018 के मई माह के 11वें दिन लीमा, पेरू में हिन्दी, स्पेनिश और अंग्रेजी भाषाओं में तीन-तीन मूल प्रतियों में हस्ताक्षरितः सभी पाठ समान रूप से वैध हैं। व्याख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से

पेरू गणराज्य के ऊर्जा और खनन मंत्रालय की ओर से